N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Vigilance & Anti Corruption Bureau Una Police Station

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE AND ANTI- **P.S. (थाना):** UNA **Year (वर्ष):** 2021

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 28/06/2021 22:10 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day (दिन):** Monday **Date From (दिनांक से):** 28/06/2021 **Date To (दिनांक तक):** 28/06/2021
      Time Period (समय अवधि): Pahar 1 **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक):** 28/06/2021 **Time (समय):** 00:00 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 008 **Date & Time (दिनांक और समय):** 28/06/2021 21:33 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-WEST, 15 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) **Address (पता):** Ispur ,Haroli

      (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**
      Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** Ravinder Kumar

   (b) **Father's Name (पिता का नाम) :** Ram Pal

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 2001 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No.(पासपोर्ट सं.):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):

   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) **Address (पता):**

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VPO Barnoh ,Una ,UNA SADAR,UNA,HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	Permanent Address	VPO Barnoh ,Una ,UNA SADAR,UNA,HIMACHAL PRADESH,INDIA

   (i) **Occupation (व्यवसाय):**

   (j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Vishnu Sharma			1. Panchayat Secretary,Gram Panchayat Ispur ,Ispur ,Haroli ,UNA,HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पति का कुल मूल्य(रु में):**
11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

दिनांक 28.06.2021 को श्री रबिन्द्र कुमार पुत्र श्री राम पाल गांव व डाकघर बरनोह तहसील व जिला ऊना हि0 प्र0 द्वारा दी गई ग्राम पंचायत ईसपुर के सचिव ने रिश्वत मांगने सम्बन्धी एक शिकायत पत्र थाना में दिया, जिसको प्रारम्भिक छानबीन हेतु SI जसवीर चन्द के हवाले किया गया था। SI जसवीर चन्द ने प्रारम्भिक छानबीन करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जो इस प्रकार है:- दिनांक 28.06.2021 को थाना प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब ने श्री रबिन्द्र कुमार पुत्र श्री राम पाल गांव व डाकघर बरनोह तहसील व जिला ऊना हि0 प्र0 द्वारा दी गई ग्राम पंचायत ईसपुर के सचिव ने रिश्वत मांगने सम्बन्धी एक शिकायत पत्र मुझे प्रारम्भिक जांच हेतु सौंपा था, जो इस प्रकार से है: सेवा में , ASP बिजिलैंस , ऊना विषय:- पंचायत सचिव द्वारा रिश्वत मांगने संवम्वन्धी शिकायत। महोदय, निवेदन है कि मैं निम्नलिखित पते का रहने वाला हूं। मैं 10 plus 2 पास हूं व वेरोजगार हूं। मैं गांव ईसपुर , सव तहसील ईसपुर , तहसील हरोली में पक्की ईंटो के डीलर का काम शुरु करना चाहता हूं। नियमानुसार इस काम के लिये फूड एंव सिविल सप्लाई विभाग द्वारा लाईसैंस जारी किया जाता है। इस विभाग के इंस्पैक्टर ने मुझे वताया कि लाइसैंस की अर्जी के साथ अन्य दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित पंचायत का NOC भी लगेगा। मैं NOC लेने हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत ईसपुर के सचिव विष्णु शर्मा के पास गया ,लेकिन वह NOC देने के वारे में कई तरह के वहाने करता रहा। इस वीच एक वार मैं पंचायत प्रधान से भी मिला था , प्रधान ने कहा था कि कोई बात नही , NOC दे देगें पहले सचिव से करवा लो। परसो 26 जून को भी मैं उससे मिला तो उसने कहा दस हजार रुपये दे दो, काम हो जाएगा। मैं रिश्वत नही देना चाहता हूं। इस सचिव विष्णु शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाय। भवदीय, रविन्द्र कुमार S/O श्री राम पाल V.P.O वरनोह त0 व जिला ऊना (हि0 प्र0) दिनांक: 28/06/2021। साराश मे शिकायत पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत ईसपुर के सचिव विष्णु शर्मा ने एक NOC जारी करने के बदले में दस हजार रुपये रिश्वत की मांग की है। जांच शुरु करने से पहले शिकायत पत्र का अध्ययन किया गया तथा शिकायत कर्ता को जांच में शामिल किया गया। शिकायत कर्ता के नाम-पता तथा अन्य जानकारी की पुष्टि हेतु आधार कार्ड व ड्राईविग लाईसैंस की फोटो कापी हासिल की गई। प्रारंम्भिक जांच के समय शिकायतकर्ता रविन्द्र कुमार ने माननीय उच्च न्यायलय हि0 प्र0 के CWP No. 1251 of 2019 के निर्णय की एक फोटो स्टेट प्रति भी पेश की, इस याचिका के निर्णय दिनांक 15.01.2021 में लिखा है कि पक्की ईटों की सप्लाई /डिलिवरी का काम किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। जांच के दौरान रविन्द्र कुमार ने बतलाया की इसने NOC जारी करने के लिये एक लिखित प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत ईसपुर को लिख कर सचिव को दिया था लेकिन जब उसने कई चक्कर लगवाये तो शुक्रवार दिनांक 25.06.2021 को प्रार्थना पत्र वापस ले लिया तथा B.D.O साहब से अपनी समस्या बतलाई। B.D.O साहब हरोली ने कहा था कि पंचायत सचिव को फोन कर देंगे कि N.O.C दे दो। दौराने जांच दिनांक 28-06-2021 को शिकायतकर्ता रविन्द्र कुमार को थाना की अन्वेषण किट में से एक रिर्काडिग डिवाईस Memory Card डाल कर दिया व हिदायत की गई कि वह सचिव विष्णू शर्मा से मिलकर उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत सम्बधी बातचीत रिकार्ड करे। सचिव विष्णु शर्मा की कार्यशैली सम्बन्धी छवि का स्थानीय इलाका में पता किया तो पाया गया कि वह बिना रिश्वत लिये काम नही करता है। शिकायतकर्ता ने सचिव से हुई बातचीत को रिकार्डिग करने के बाद थाना में अधोहस्ताक्षरी से मिला तथा वतलाया कि सचिव विष्णु शर्मा से N.O.C जारी करने बारा बातचीत रिकार्ड करके लाया है जिस पर रिर्काडिंग डिवाईस में से मैमोरी कार्ड निकाल कर लैपटाप में लगाकर व कापी करके सुना गया तो इस वार्तालाप में 37:15 मिनट के आस पास सचिव ने 12 हजार रुपये की रिश्वत की मांग फाईनल की है। प्रारंम्भिक जांच में सामने आये सभी तथ्यों तथा शिकायतकर्ता व सचिव विष्णु शर्मा के बीच N.O.C हेतु हुई बातचीत में रिश्वत की स्पष्ट मांग पाई गई है जो सचिव विष्णु शर्मा ग्राम पंचायत ईसपुर द्वारा रिश्वत की मांग करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जद में आना पाया जा रहा है। अतः रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है। हस्ताक्षर English उप- निरीक्षक जसवीर चन्द रा.स. एवं भ्र. रोधी ब्यूरो ऊना,जिला ऊना (हि.प्र.)। कार्यवाही पुलिस:- SI जसवीर चन्द के द्वारा प्रारम्भिक छानबीन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उप नि0 जसवीर चन्द की अनुशन्सा के अनुसार बिष्णु शर्मा सचिव ग्रांम पंचायत ईसपुर , सव तहसील ईसपुर तहसील हरोली जिला ऊना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अन्तर्गत अपराध पाया जा रहा है। अतः उपरोक्त आरोपी के खिलाफ मुकदमा जेर धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पंजीकृत थाना किया गया है। FIR की प्रतियां प्रिन्टर के द्वारा निकाली जा रही हैं जिन्हे मुलाहजा हेतु माननीय अदालत व वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा में भेजा जा रहा है। मुकदमा विशेष प्रतिवेदित है अतः FIR को ही विशेष प्रतिवेदन समझा जाये। अभियोग को अन्वेषण हेतु निरीक्षक संजीव कुमार के हवाले किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** or (या)
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Sanjeev Kumar **Rank (पद):** I (Inspector)
No.(सं.): NA **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sagar Chander
Rank(पद): Addl. SP (Additional Superintendant of Police)
No.(सं.): NA

Addl Superintendent of Police
State Vigilance & Anti Corruption
Bureau UNA (H.P.)